टिप्पणी एवं आदेश

उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/महाप्रबन्धक (औ0सं0)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में उ0प्र0 शासन की अनुरूपता में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975 लागू है। अवगत कराना है कि उक्त नियमावली में आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधन किये गये हैं तथा विभिन्न विषयों पर आदेश निर्गत किये गये है। मुख्यालय एवं डिस्काम/क्षेत्रीय कार्यालयों से मृतक आश्रित सेवायोजन के सम्बन्ध में आ रही कठिनाई के निवारण हेतु प्रकरण प्राप्त होते है जिसका कारण कारपोरेशन द्वारा जारी आदेशों की जानकारी न होना है।

अतः मृतक आश्रित सेवायोजन के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा दिनांक 30.06.1976 से दिनांक 10.07.2014 तक जारी ऐसे आदेशों की सूची निम्नवत् दी जा रही है जो कि वर्तमान में प्रभावी एवं प्रासंगिक है :-

क0 सं0	आदेश सं0	दिनाक	मृतक आश्रित सेवायोजन के सम्बन्ध में राज्य विद्युत परिषद/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश।
1.	212	30.06.1976	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975
2.	1235	06.04.1978	नियमावली संशोधन एवं मृतक आश्रित सेवायोजन हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप।
3.	5357	16.07.1981	दत्तक पुत्र/पुत्री को मृतक आश्रित में शामिल किये जाने विषयक।
4.	5614	06.01.1993	20.06.1974 से पूर्व के प्रकरणों में अध्यक्ष के अधिकार समाप्त किये गये।
5.	251	30.08.1993	मुख्य अभियन्ता को नियुक्ति अनुमोदन हेतु अधिकृत।
6.	21	22.01.1998	नियमावली संशोधन-05 वर्ष समय सीमा एवं अवर अभियन्ता से निम्नतर पद सेवायोजन दिये जाने की विज्ञप्ति।
7.	3369	06.08.1999	अधिसंख्य पद (Supernumary post) के विरूद्ध रिक्त पद न होने पर नियुक्ति प्रदान करना।
8.	3880	22.12.2000	मात्र 03 पद (श्रमिक, टी0जी0-2, कार्यालय सहायक-तृतीय) पर नियुक्ति।
9.	4222	13.11.2002	टी0जी0-2 हेतु 02 वर्ष अनुभव शिथिल परिवीक्षा पर नियुक्ति की व्यवस्था।
10.	2797	06.06.2003	महिला मृतक आश्रित की चपरासी पर नियुक्ति
11.	3017	26.06.2003	लापता श्रमिक की सक्षम न्यायालय द्वारा सिविल डेथ घोषित होने से 05 वर्ष की समयसीमा का निर्धारण।
12.	17	23.02.2007	मृतक आश्रित की श्रमिक पद पर नियुक्ति हेतु न्यूतनम हाई स्कूल उत्तीर्ण की शर्त से शिथिलता।
13.	139	11.09.2007	टी0जी0-02 पद पर अभियन्त्रण डिग्री/डिप्लोमाधारी मृतक आश्रित की नियुक्ति।
14.	1623	22.04.2008	मृतक आश्रित कार्यालय सहायक-3 पर नियुक्ति हेतु टंकण एवं ओ लेविल कम्प्यूटर अर्हता पूर्ण करने हेतु 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि।
15.	3793	08.10.2009	मृतक आश्रित सेवायोजन हेतु टैक्नीशियन ग्रेड-2 (विद्युत) से विद्युत शब्द विलोपित करते हुये केवल टैक्नीशियन ग्रेड-2 किया गया।
16.	4327	25.11.2009	प्रशासनिक कार्यालय (प्रबन्ध निदेशक, मुख्य अभियन्ता एवं लेखा कार्यालय) में मृतक आश्रित पुरूष अभ्यर्थी का चपरासी पद पर नियुक्ति।
17.	2018	05.12.2012	मृतक सेवक के कुटुम्ब की व्याख्या।
18.	2104	11.07.2013	कार्यालय सहायक-तृतीय पद पर स्नातक के अन्तर्गत बी0ए, बी0काम, बी0एस0सी0, बी0सी0ए0, बी0बी0ए0, बी0ई0, बी0टेक अर्हता सम्मिलित।
19.	686	28.02.2014	मृतक आश्रित की नियुक्ति (सामान्य मामलो में) के सम्बन्ध में उ0प्र0 जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार 90 दिवसों में निर्णय लिये जाने विषयक।
20.	101	10.07.2014	कारपोरेशन मुख्यालय संवर्ग के कार्मिको हेतु कम्प्यूटर सहायक के पद पर मृतक आश्रित नियुक्त विषयक।

प्रस्तावित है कि उक्त समस्त आदेश कारपोरेशन की वेबसाइट पर "**मृतक आश्रित नियमावली शीर्षक**" से एक **आइकॉन** बनाकर उसपर अपलोड कर दिये जाये ताकि कारपोरेशन के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को मृतक आश्रित सेवायोजन सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण में कोई असुविधा न हो तथा अभिमत प्राप्त करने में अनावश्यक समय बर्बाद न हो एवं मृतक आश्रित को शीघ्रता से सेवायोजन प्राप्त हो सके।

विचारार्थ प्रस्तुत।

Naf Mathur 18.7.14

226 अनुलग्नक - दो

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद
"शक्ति भवन" 14-अशोक मार्ग
लखनऊ ।

संख्या: 212-जी०एम०/रा०वि०प०-3-15जी०एम/74 दिनांक: जून 30, 1976

अधिसूचना

विद्युत (सम्पूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 79(सी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवा काल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विशेष नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवा काल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ:- 1- यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975 कहलायेगी ।

   2- यह 20 जून, 1974 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

2. परिभाषाएं:- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -

   क= "परिषदीय सेवक" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सेवायोजित ऐसे परिषदीय सेवक से है जो-

   1- ऐसे सेवायोजन में स्थायी था, या

   2- यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था, या

   3- यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है ।

   स्पष्टीकरण - "नियमित रूप से नियुक्त" का तात्पर्य, यथास्थिति, पद पर या सेवा में भर्ती के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये जाने से है ।

   ख= "मृत परिषदीय सेवक", का तात्पर्य ऐसे परिषदीय सेवक से है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाए,

   ग= "कुटुम्ब" के अंतर्गत मृत परिषदीय सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे:

   1: पत्नी या पति

   2: पुत्र

   3: अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां ।

   घ= "कार्यालय का प्रधान" का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत परिषदीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था ।

-20
(2)

3. नियमावली का लागू किया जाना– यह नियमावली परिषद के अन्तर्गत पर इंजीनियर तथा उससे समकक्ष से नीचे के पदों पर ही लागू होगी ।

4. इस नियमावली का अध्यारोही प्रभाव– इस नियमावली के प्रारंभ के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों विनियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यह नियमावली तथा तदधीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा ।

5. मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती यदि इस नियमावली के प्रारंभ होने के पश्चात किसी परिषदीय सेवक की सेवा–काल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम या राज्य विद्युत परिषद के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर , भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए. परिषदीय सेवा में जूनियर इंजीनियर तथा उसके समकक्ष से नीचे के पदों पर सेवायोजन प्रदान किया जायेगा । किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह सदस्य उस पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी परिषदीय सेवा के लिए अर्ह हो । ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथासंभव उसी इकाई में दी जानी चाहिए जिसमें मृत परिषदीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था ।

6. सेवायोजन के लिए आवेदन–पत्र की विषयवस्तु – इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए आवेदन–पत्र जिस पद पर नियुक्ति अभिलषित है, उस पद से संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, जहाँ मृत परिषदीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था । आवेदन–पत्र में, अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सूचना दी जाएगी :–

(क) मृत परिषदीय सेवक की मृत्यु का दिनांक वह इकाई जहाँ और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था ।
(ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा अन्य ब्यौरे विशेषतया उनके विवाह, सेवायोजन तथा आय संबंधी ब्यौरे,
(ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्यौरा, और
(घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं, यदि कोई हो ।

7. प्रक्रिया जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजन चाहते हों – यदि मृत परिषदीय सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता को विनिश्चित करेगा । समस्त कुटुम्ब विशेषतया उसके विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा ।

8. आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता– ।
(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ।
(2) चयन के लिए प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं से, यथा लिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायेगा किन्तु अभ्यर्थी पद विषयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाए रखेगा इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा ।

क्रमशः ——3

2296 अनु-2 3

[3] इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति केवल किसी विद्यमान रिक्ति के प्रति की जायेगी ।

9. सामान्य अर्हताओं के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान- किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि -

[क] अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह परिषदीय सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है,

टिप्पणी:- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम या राज्य विद्युत परिषद द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं समझे जाएंगे ।

[ख] वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिसके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो तथा इस बात के लिए अभ्यर्थी से उस मामले में लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी ।

[ग] पुरुष अभ्यर्थी की दशा में, उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हो और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में- उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो ।

10-कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति - राज्य सरकार अथवा परिषद इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को [जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक होगी] दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित आधार या लोक हित में आवश्यक या समीचीन समझे ।

अवध कुमार गुप्त
सचिव ।

संख्या: 2[2][1]जी०एम०/रा०वि०प०-सी०-[5]जी०एम/74.

प्रतिलिपि, अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित, कि वे कृपया उपरोक्त अधिसूचना को शासकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशित करा दें।

आज्ञा से,

[कैलाश नाथ माथुर]
संयुक्त सचिव ।

229 अनु-2 -4-

(4)

संख्या: 2|2|2|जी०एस०/रा०वि०प०-तीन-15जी०एस/74

प्रतिलिपि निम्नलिखित को परिषद के पत्र संख्या 1584-जी०एस०/रा०वि०प०-तीन 15जी०एस/74, दिनांक 20 जून, 1974 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । इन नियमों का लाभ परिषद के समस्त कर्मचारियों को प्राप्त होगा लेकिन नियम 5 के अनुसार आश्रितों की भर्ती जूनियर इन्जीनियर तथा उसके समकक्ष से नीचे पदों पर ही की जायगी।

1- मुख्य अभियन्ता|जलविद्युत|, उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
2- जनरल मैनेजर, कानपुर विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन, केसा हाउस, कानपुर।
3- मुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
4- समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता | उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
5- समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता |
6- समस्त मैनेजर एवं मुख्य अभियन्ता, ओबरा तापीय एवं जल-विद्युत गृह, ओबरा, जनपद-मिर्ज़ापुर ।
7- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता|परिचालन एवं रख-रखाव|, ओबरा तापीय विद्युत गृह, ओबरा|मिर्ज़ापुर ।
8- समस्त अधीक्षण अभियन्ता | उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद ।
9- समस्त अधिशासी अभियन्ता |
10- समस्त रीजनल प्रोजेक्ट्स एकाउंट्स आफिसर, उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद ।
11- जन संपर्क अधिकारी, उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
12- परिषद मुख्यालय के समस्त अनुभाग ।
13- समस्त मैनेजर एवं मुख्य अभियन्ता, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, देहरादून।
14- अधीक्षण अभियन्ता|मुख्यालय|, उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
15- समस्त वैयक्तिक सहायक, परिषद मुख्यालय ।

आज्ञा से,

|कैलाश नाथ माथुर|
संयुक्त सचिव ।

मोहर

सत्य प्रतिलिपि

[signature]
20/5/80

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद,
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन,
लखनऊ

संख्या: 1235-जीई(2)/रा0वि0प0-3(17)जीई(2)/1976. दि0: अप्रैल 6, 78.

अधिसूचना
=======

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, सेवा काल में मृत परिषदीय सेवाओं के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975, जो परिषदीय विज्ञप्ति संख्या 212 जी0एम0/रा0वि0प0-3(15)जी0एम0/74, दिनांक 30जून, 1976, द्वारा प्रकाशित हुई, के अनुच्छेद 3,5,10 में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं।

परिषदीय आदेश सं0 212-जी0एम0/रा0वि0प0-3-15जी0एम0/74(दि0 30.6.76 द्वारा जारी नियमावली स्तम्भ।	संशोधित स्तम्भ
3- नियमावली का लागू किया जाना-यह नियमावली परिषद के अन्तर्गत जूनियर इंजीनियर तथा उसके समकक्ष से नीचे पदों पर ही लागू होगी।	3- नियमावली का लागू किया जाना-यह नियमावली परिषद के अन्तर्गत समस्त ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु लागू होगी, जिन पर सीधी भरती की जाती है।
5- मृतक के कुटम्ब के किसी सदस्य की भर्ती- यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी परिषदीय सेवक की सेवा काल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित निगम या राज्य विद्युत परिषद के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भरती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, परिषदीय सेवा में (जूनियर इंजीनियर तथा उसके समकक्ष के नीचे के पदों पर) सेवायोजन प्रदान किया जायेगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिए निहित शैक्षिक अहर्ता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी परिषदीय सेवा के लिए अर्ह हो ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथाशक्ति उसी इकाई में दी जानी चाहिए जिसमें मृत परिषदीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।	5- मृतक के कुटम्ब के किसी सदस्य की भरती- यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी परिषदीय सेवक की सेवा काल में ऐसे एक सदस्य की मृत्यु हो जाय तो उसके कुटम्ब के ऐसे एक सदस्य को, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम या राज्य विद्युत परिषद के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर, भरती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, परिषदीय सेवा में सेवायोजन प्रदान किया जाएगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिए निहित शैक्षिक अहर्ता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से परिषदीय सेवा के लिए अर्ह हो।
10- राज्य सरकार अथवा परिषद इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एक मात्र निर्णायक होगी) दूर करने के प्रयोजनार्थ	10- परिषद इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक होगी) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या

कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे।	विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित आवश्यक या समीचीन समझे ।

यह संशोधित सुविधा मृतक परिषदीय कर्मचारी की पत्नी, पुत्र/पुत्री, को कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से छः मास तक ही ग्राह्य होगी ।

ह० ॥राजेन्द्र नाथ भार्गव॥
सदस्य सचिव।

सं0: ।235॥1॥जी0ई0॥2॥/रा0वि0प0/78 तद्दिनांक
==

प्रतिलिपि अध्यक्ष, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त अधिसूचना को शासकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशित करवा दें ।

आज्ञा से,
ह0 : सुरेश चन्द्र रस्तोगी,
उप सचिव

संख्या: ।235॥2॥जी0ई0॥2॥/रा0वि0प0/78 तद्दिनांक
==

प्रतिलिपि निम्नलिखित को परिषद के पृष्ठ संख्या 2॥2॥2॥-जी0एम0/रा0वि0प0-तीन-15जी0एम0/74., दिनांक 30 जून, 1976 के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य अभियन्ता॥जल विद्युत॥, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
2- जनरल मैनेजर, कानपुर विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन, केसा हाउस, कानपुर ।
3- मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
4- समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, ।
5- समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
6- जनरल मैनेजर,एवं मुख्य अभियन्ता, ओबरा तापीय एव जल-विद्युत गृह, ओबरा
7- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता॥परिचालन एवं रख-रखाव॥ओबरा तापीय विद्युत गृह, ओबरा, जनपद-मिर्जापुर ।
8- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
9- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
10- समस्त रीजनल प्रोजेक्ट्स एकाउन्ट्स आफिसर, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
11- जन सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
12- परिषद मुख्यालय के समस्त अनुभाग ।
13- जनरल मैनेजर एवं मुख्य अभियन्ता, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, देहरादून ।
14- अधीक्षण अभियन्ता॥मुख्यालय॥, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
15- समस्त वैयक्तिक सहायक, परिषद मुख्यालय ।

आज्ञा से,
ह0: सुरेश चन्द्र रस्तोगी,
उप सचिव ।

सत्य प्रतिलिपि

(परिषदीय आदेश सं०-212-जी०एस०/एस०ई०बी०-15जी०एम०-17, दिनांक 30.4.76
विज्ञप्ति सं०-1235-जी०ई०-2/राविप-3-3/17जी०ई०-2/76, दि० 06.04.78)

भाग-1 (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाय)

फोटो के लिए

1- आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) :- - - - - - - - - - - - - - -

2- पिता का नाम :- - - - - - - - - - - - - - - - -

3- आवेदित पद :- - - - - - - - - - - - - - - - -

4- इकाई का नाम जहाँ मृतक कर्मचारी मृत्यु के समय कार्यरत था :- - - - - - - - - - - - - - - -

5- आवेदक का मृतक से सम्बन्ध :- - - - - - - - - - - - - - - - -

6- मृतक कर्मचारी के आश्रितों की सूची :- -

क्र०सं०	कुल संख्या आवेदक को मिलाकर	नाम	आयु	मासिक आय	आय श्रोत	यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7

(क) पति/पत्नी
(ख) पुत्र
(ग) अविवाहित पुत्रियाँ
(घ) विधवा पुत्रियाँ
(जो मृतक पर पूर्णतया आश्रित हों)

7- आवेदक का विवरण :
(क) जन्मतिथि (प्रमाण पत्र सहित) :- - - - - - - - - - - - - -
(ख) शैक्षिक योग्यता (प्रमाण-पत्र सहित) :- - - - - - - - - - - - - -
(ग) पूर्व अनुभव (प्रमाण-पत्र सहित) :- - - - - - - - - - - - - -
(घ) स्थाई/स्थानीय पता :- - - - - - - - - - - - - -
:- - - - - - - - - - - - - -

8- घोषणा - मैं - एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मृतक कर्मचारी स्वर्गीय श्री - - - - - - - - - - - - - - - - - - के परिवार के किसी भी सदस्य के उक्त कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की सेवाकाल में मृतक परिषदीय आश्रितों के आश्रितों को भर्ती नियमावली-1975 के अन्तर्गत सेवायोजन नहीं किया गया है।

टिप्पणी :- परिषदीय अधिसंरचना के अनुसार निम्नांकित को ही मृत्य कर्मचारी का आश्रित समझा जायेगा तथा वे दी सेवायोजन पाने के पात्र होंगे अथवा नहीं ।

1- पत्नी/पति :- - - - - - - - - - - - - - - - -

2- पुत्र :- - - - - - - - - - - - - - - - -

3- अविवाहित या विधवा पुत्रियाँ :- - - - - - - - - - - - - - - - -

भाग-2 : किसी परिषद के अधिकारी/तहसीलदार/सम्बन्धित जिले के अधिकारी द्वारा भरा जाये।

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मृतक श्री/श्रीमती- - - - - - - - - - - को मैं जानता तथा आवेदक - - - - - - - - - - - - - - को भी मैं जानता हूँ। इस प्रार्थना-पत्र के भाग-1 में दिये गये विवरण मेरी जानकारी व विश्वास में पूर्णतया सत्य हैं।

दिनांक:

हस्ताक्षर

भाग-3 : क्षेत्रीय अधिकारियों/अधिशासी अभियन्ता एवं उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा भरे जाने हेतु मृतक कर्मचारी का विवरण।

1- नाम - - - - - - - - - - - - - - पद - - - - - - - - - -वेतनमान- - - - - -

2- परिषदीय सेवा में नियुक्ति की तिथि (सेवा-पुस्तिका के आधार पर) :- - - - - - - - - - - - - - - - -

3- सेवा की अवधि तथा प्रकार स्थाई/अस्थाई/कार्य प्रभारित/मस्टररोल (जैसी स्थिति हो) :- - - - - - - - - - - - - - - - -

4- मृत्यु की तिथि :- - - - - - - - - - - - - - - - -

5- मृत्यु की प्रकृति :- - - - - - - - - - - - - - - - -

हस्ताक्षर

नाम

पद/पता

कार्यालय/मोहर

टिप्पणी :- प्रत्येक भाग की प्रविष्टि स्पष्ट/पूर्णरूप से किया जाना आवश्यक है।

4 copies

(19)

10

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद,
"शक्ति भवन" 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ ।

संख्या: 5357-डब्लूसी/राविप/औस-उन्नीस/81-25-एफ/81 दिनांक 16जुलाई,1981.

कार्यालय-ज्ञाप

परिषद के समक्ष अभी हाल में एक मामला ऐसा आया है जिसमें मृत परिषदीयकर्मचारी सन्तानहीन था तथा उसके दत्तक पुत्र ने "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली,1975" के अन्तर्गत बहैसियत आश्रित परिषदीय सेवायोजन प्रदान किये जाने का आवेदन किया गया था । इस सम्बन्ध में परिषद को यह परामर्श दी गई कि चूंकि हिन्दू विधि में दत्तक ग्रहण करने की मान्यता दी गई है इस लिये उक्त नियमावली में जहां कहीं भी "पुत्र" शब्द का प्रयोग हुआ है उसका तात्पर्य केवल हिन्दू कर्मचारियों के मामलों में दत्तक पुत्र से भी होगा ।

मुख्य अभियन्ता(कार्मिक)

संख्या: 5357-एक/डब्लूसी/राविप/एएस0-19/81 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य अभियन्ता(जल विद्युत),उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद,लखनऊ ।
2- समस्त महा प्रबन्धक,उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
3- मुख्य लेखाधिकारी,उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद,लखनऊ ।
4- समस्त मुख्यक्षेत्रीय,अभियन्ता,उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
5- समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
6- समस्त अधीक्षण अभियन्ता,उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
7- समस्त अधिशासी अभियन्ता,उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
8- समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी/सहायक कार्मिक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ।
9- समस्त रीजनल/प्रोजेक्ट एकाउन्टस आफिसर,उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
10- जन सम्पर्क अधिकारी,उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लखनऊ ।
11- परिषद मुख्यालय के समस्त अनुभाग/प्रशासन एवं लेखा ।
12- समस्त वैयक्तिक सहायक,परिषद मुख्यालय ।

आज्ञा से,

ह0 हरिपाल सिंह
मुख्य अभियन्ता(कार्मिक)

सत्य प्रतिलिपि
[signature]
9.1.87

"शक्ति भवन", 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या-5614-डब्लू०सी०/राविप।अ०सं०-उन्नीस।92-27-एम/80 दिनांक 6.1.1993 दिसम्बर/1992.

अधिसूचना

परिषदीय अधिसूचना संख्या-296-एम/राविप।ए०एस०-19।81-27-एम/80, दिनांक 8.4.81 के नियम-2 द्वारा परिषद के अध्यक्ष महोदय को "उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975" के प्राविधानों से अनावरित मामलों के निस्तारणार्थ विशेष अधिकार प्रदान किया गया था।

प्रश्नगत नियमावली दिनांक 20 जून, 1974 से प्रभावी है तथा इसका प्रयोजन यह था कि मृतक के परिवार को तात्कालिक सहायता पहुंचाने हेतु उसके एक आश्रित को परिषदीय सेवायोजन प्रदान किया जाय। चूंकि दिनांक 20.6.74 से पूर्व के मामलों में अब निर्णय लेने का कोई औचित्य नहीं है अतः परिषद एतदद्वारा उक्त नियम-2. के द्वारा अध्यक्ष महोदय को प्रदत्त विशेष अधिकार को निरस्त करता है।

अतएव एतदद्वारा यह स्पष्ट आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत नियमावली के अन्तर्गत दिनांक 20.6.74 के पूर्व का कोई भी मामला किसी भी स्तर से निस्तारित नहीं किया जायेगा।

परिषद की आज्ञा से,
सचिव।

संख्या-5614।एक।डब्लू०सी०/राविप।अ०सं०-उन्नीस।92 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त अधिसूचना को शासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करवा दें।

आज्ञा से,

।अरुण कुमार वशिष्ठ।
सचिव।

संख्या-5614।दो।डब्लू०सी०/राविप।अ०सं०-उन्नीस।92 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
2. समस्त महा प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
3. समस्त मुख्य परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
4. समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
5. मुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
8. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. वरिष्ठ औद्योगिक सम्बन्ध अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. उप-सचिव।जन सम्पर्क।, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. परिषद।मुख्यालय। के समस्त अनुभाग/निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक।प्रशासनिक एवं लेखा-स्कन्ध।।
12. अवर-सचिव।रेगुलेशन।/।बी०ओ०सेल।, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

।एल०आर० जाटव।
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ

संख्या-251-विनि-23/राविप-93-7विनि/92 दिनांक : 30, 1993

कार्यालय ज्ञाप

परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप सं0-225-विनि-23/ राविप-92-4विनि/92, दिनांक 16.12.92 में निहित आदेशों के अतिक्रमण में यह निर्णय लिया है कि :-

(1) राज्य विद्युत परिषद की सेवाओं के राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग में प्रारम्भिक नियुक्तियों हेतु सभी चयन विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से किया जायेगा ।

(2) राज्य विद्युत परिषद की सेवाओं के सभी संवर्गों में प्रोन्नत द्वारा भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में चयन/नियुक्ति सक्षम अधिकारी/ विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जा रही विद्यमान व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी ।

2. उक्त उप-कंडिका (1) में उल्लिखित आदेश सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती से सम्बन्धित प्रकरणों में लागू नहीं होंगे। उनके मामलों का निस्तारण अधोलिखित व्यवस्था के आधीन किया जायेगा ।

(1) सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती सम्बन्धित नियुक्त अधिकारी अपने नियंत्रक मुख्य अभियन्ता से लिखित पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही करेंगे ।

(2) समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/महा-प्रबन्धक/मुख्य परियोजना प्रबन्धक/ मुख्य लेखाधिकारी सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती से सम्बन्धित त्रैमासिक विवरण जुलाई, अक्टूबर, जनवरी एवं अप्रैल माह की 15 तारीख तक मुख्य कार्मिक अधिकारी, राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ को प्रस्तुत करेंगे ।

परिषद की आज्ञा से,

मारकण्डेय सिंह
(मारकण्डेय सिंह)
सचिव

सं0-251(1)विनि-23/राविप-93-7विनि/92 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सभापति, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/11, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
3. महाप्रबन्धक, कानपुर विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन, उ0प्र0 राज्य विद्युत परि0, कानपुर ।
4. अपर सचिव-1/11/111, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ
5. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ
6. मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
7. मुख्य कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
8. सचिव, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।

11. परिषद सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12. बैठक सहायक, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद की 1993 की फरवरी बैठक के मद सं0 पार्ट 101/1993 एवं मार्च 19/1993 के संदर्भ में ।

आज्ञा से,

30/08/93

(डा0 रमापति दुबे)
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ ।

संख्या: 21 -विनियम-23/राविप-98-4विनियम/93 दिनांक: 22 जनवरी 199

विज्ञप्ति

विविध

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 79 (सी) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली - 1975 (परिषदीय अधिसूचना संख्या- 212-जी0एम0/राविप-3(15)जी0एम0-74 दिनांक जून 30, 1976 द्वारा अधिसूचित एवं अधिसूचना संख्या- 1235-जी0ई0(2)/राविप-3(17)जी0ई0(2)/1976 दिनांक अप्रैल 06, 1978, संख्या- 296-एफ0/राविप/ए0एस0-19(8)(-27एफ0/80, दिनांक अप्रैल 08, 1981 एवं अधिसूचना संख्या-5614-डब्लू0सी0/राविप(औ0सं0-उन्नीस)92-27एफ0/80, दिनांक 06-01-1993 द्वारा संशोधित) में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चतुर्थ संशोधन) विनियम - 1998

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(1) ये विनियम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चतुर्थ संशोधन) विनियम - 1998 कहलायेंगे ।

(11) ये तत्काल प्रभावी होंगे ।

2. विनियमों का प्रतिस्थापन

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती विनियम - 1975 के वर्तमान विनियम 3 एवं 5 जैसा कि निम्न स्तम्भ-1 में दिये गये हैं, स्तम्भ-11 में दिये गये विनियमों द्वारा प्रतिस्थापित होंगे :-

स्तम्भ-1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ-11 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
विनियम-3 "नियमावली का लागू किया जाना"	विनियम-3 "नियमावली का लागू किया जाना
यह नियमावली परिषद के अन्तर्गत समस्त ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु लागू होगी, जिन पर सीधी भर्ती की जाती है ।	यह नियमावली परिषद के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी (अवर अभियंता तथा उसके समकक्ष से नीचे के पदों) एवं चतुर्थ श्रेणी के समस्त ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु लागू होगी, जिन पर सीधी भर्ती की जाती है ।

---2/-

विनियम-5 "मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती"

यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी परिषदीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के एक ऐसे सदस्य को, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम या राज्य विद्युत परिषद के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर, भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये परिषदीय सेवा में सेवायोजन प्रदान किया जायेगा । किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिये निहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से परिषदीय सेवा के लिए अर्ह हो ।

विनियम-5 "मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती"

यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी परिषदीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के एक ऐसे सदस्य को, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम या राज्य विद्युत परिषद के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, परिषदीय सेवा में तृतीय श्रेणी (अवर अभियंता तथा उसके समकक्ष से नीचे के पदों) एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सेवायोजन प्रदान किया जायेगा । किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य :-

(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो,

(दो) परिषदीय सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो और

(तीन) परिषदीय सेवक की मृत्यु के दिनांक के पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लि आवेदन करता है ।

परन्तु जहां परिषद का यह समाधान हो जाय कि सेवायोज के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी वि मामले में अनुचित कठिनाई हो है, वहां वह अपेक्षाओं को, वह मामले में न्यायसंगत और पूर्ण रीति से कार्यवाही करने आवश्यक समझे, अभिमुक्त या कर सकती है ।

परिषद की आज्ञा से,

(शरद चन्द्र रस्तोगी)

सं0- 21 ¦1¦विनियम-23/राविप-98 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त महा प्रबन्धक/मुख्य अभियंता ¦स्तर-1 व 11¦, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
2. समस्त नियंत्रक, लेखा शाखा, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
3. निदेशक, आन्तरिक लेखा सम्परीक्षा, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
4. सभापति, जांच समिति, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
5. मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
6. सभापति, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद,
8. समस्त अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
9. समस्त अधिकारीगण, परिषद सचिवालय/लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
10. समस्त अनुभाग, परिषद सचिवालय/लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
11. बैठक सहायक को परिषदीय बैठक दिनांक 13.1.98 के मद सं0- 1¦15¦/1998 के संदर्भ में ।

आज्ञा से,

¦ एस0 पी0 श्रीवास्तव ¦
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

14- अशोक मार्ग: शक्ति भवन: लखनऊ

संख्या :3369/राविप/औस-17/99-27एफ/80

दिनांक 6.8.1999

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975 के वर्तमान नियम 8 के उपनियम (3), जो स्तम्भ एक में दर्शित है, को संशोधित कर स्तम्भ दो के अनुसार व्यवस्था की जाती है :

स्तम्भ "एक" वर्तमान नियम 8 का उप-नियम (3)	स्तम्भ "दो" संशोधित नियम 8 का उपनियम (3)
इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायेगी ।	इस नियमावली के आधीन परिषद में सीधी भर्ती के श्रेणी (तीन) (अवर अभियन्ता व समकक्ष पद को छोड़कर) के निम्नतम् पद पर व श्रेणी 4 में कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद (Supernumary Post) के प्रति की जायेगी जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जायेगा और जो तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो जाय ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

सचिव

संख्या3369(1)/राविप-औस-17/99-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता (स्तर 1 व 11), उ0प्र0रा0वि0परिषद ।
2. समस्त नियंत्रक, लेखा शाखा, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद ।
3. निदेशक, आन्तरिक लेखा सम्परीक्षा, उ0प्र0रा0वि0परिषद ।
4. मु.अभियन्ता जांच समिति, उ0प्र0रा0वि0परिषद, लखनऊ ।
5. मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0रा0वि0परिषद ।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0रा0वि0परिषद।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद ।
9. समस्त अधिकारीगण, परिषद सचिवालय/लेखा स्कन्ध, उ0प्र0रा0वि0परिषद ।
10. समस्त अनुभाग, परिषद सचिवालय/लेखा स्कन्ध, उ0प्र0रा0विद्युत परिषद ।

आज्ञा से,

(एल0 आर0 जाटव)
मुख्य कार्मिक अधिकारी

उ० प्र० पावर कार्पोरेशन लि०
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

सं० 3880-औत-17/पाकालि/2000-27एफ/80 दि० 22 दिसम्बर 2000

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती परिषद/पावर कारपोरेशन के सेवाकाल में मृत कर्मचारियों के आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं० 645-औत/पाकालि/2000-27एफ/80 दिनांक 29.3.2000 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, कारपोरेशन ने सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् व्यवस्था प्रतिपादित की है :-

(अ) मृतक आश्रितों की नियुक्ति मात्र श्रमिक, टेक्नीशियन ग्रेड-2 —— (विद्युत तथा कार्यालय सहायक (तृतीय) के पद पर की जायेगी।

(ब) उक्त नियुक्ति किये जाने के अनुमोदन के अधिकार महाप्रबन्धक को इस प्रतिबन्धाधीन प्रदान किया गया है कि वे अनुमोदित/नियुक्ति की सूचना नियमित रूप से एवं यथाशीघ्र मुख्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे।

(स) पूर्ववर्ती परिषद/पावर कारपोरेशन द्वारा सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियम/आदेश यथावत लागू रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

निदेशक मण्डल

सं० 3880-1-औत-17/पाकालि/2000 तद्‌दिनांक,

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा० ऊर्जा मंत्री जी, उ०प्र०शासन के निजी सचिव.
2. मा० ऊर्जा राज्य मंत्री जी, उ०प्र० शासन के निजी सचिवगण
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ
4. निदेशक (का. एवं प्र.)/वितरण/कारपोरेट प्लानिंग/पारेषण/वित्त के निजी सचिव.
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उ०प्र०पा०का०लि०, 4-विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ
6. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, उ०प्र०पावर कार्पोरेशन लि०
7. समस्त महाप्रबन्धक, उ०प्र०पावर कार्पोरेशन लि०
8. समस्त उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र०पावर कार्पोरेशन लि०
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०पावर कार्पोरेशन लि०
10. समस्तवरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र०पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
11. कारपोरेशन मुख्यालय एवं लेखा संवर्ग के समस्त अधिकारीगण/अनुभाग, उ०प्र०पावर कार्पोरेशन लि०
12. श्री जे. पी. शास्त्री, उपसचिव को बैठक दिनांक 28.11.2000 के आईटम नं० 14(35)/2000 के सम्बन्ध में पारित संकल्प की अनुपालन आख्या के रूप में।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

सं0 4222-औस-17/पाकालि/2002-10(74)ए. बस. 2002 दि013 नवम्बर 2002

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत टैक्नीशियन ग्रेड-2 (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती किये जाने हेतु उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली 1995 द्वारा निर्धारित अर्हता में दो वर्ष के कार्य अनुभव की अनिवार्यता को उक्त विनियमवली के नियम -45(ii) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अधीन, निम्न प्रकार से एतद्द्वारा शिथिल किया जाता है :-

"यदि मृतक आश्रित टी. जी. ग्रेड-2 (विद्युत) पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अन्य योग्यताएँ रखता है परन्तु दो वर्ष का अनुभव नहीं रखता है तो ऐसे आश्रित को प्रोबेशन (परिवीक्षा) पर दो वर्ष हेतु नियुक्ति प्रदान कर दी जाए तथा उसके द्वारा सन्तोषजनक कार्यपूर्ण करने पर उसे नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए।"

अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक

सं0 4222-1-औस-17/पाकालि/2002 तदादिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक महोदय के प्रमुख निजी सचिव
2. निदेशक (पारेषण)/(वितरण)/(वाणिज्य)/(वित्त) एवं (कार्मिक प्रबन्ध एवं प्रशासन) के निजी सचिव।
3. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक उ0प्र0पा0का0लि0
4. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0
5. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0
6. उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय /लेखा शाखा के समस्त अधिकारीगण
7. अनुसचिव (विनियम) उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ
8. कट फाइल।

13/11/02

आज्ञा से,

(एल. आर. जाटव)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

सं० 2797-औस-17/पाकालि/2003-27-एस./80टी. सी.   दिनांक 06 जून 2003

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 3880-औस-17/पाकालि/2000-27 एस/80 दिनांक 22.12.2000 के अनुक्रम में पूर्ववर्ती परिषद/पावर कारपोरेशन के सेवा काल में मृत कार्मिकों के आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मृतकाश्रितों की नियुक्ति श्रमिक, टेक्नीशियन ग्रेड-2 (विद्युत) एवं कार्यालय सहायक-तृतीय के साथ साथ मात्र महिला आश्रितों (आवेदक) की नियुक्ति चपरासी पद पर भी किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निदेशक मण्डल

सं० 2797-1-औस-17/पाकालि/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. मा० ऊर्जा मंत्री जी, उ०प्र०शासन के निजी सचिव.
2. प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उ०प्र०शासन, बापू भवन, लखनऊ
3. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि० 4-विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ
4. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०/समस्त महाप्रबन्धक उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०
7. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि
8. पावर कारपोरेशन मुख्यालय के प्रशासन एवं लेखा स्कन्ध के समस्त अधिकारी, अनुभाग अधिकारी एवं निजी सचिव.
9. कम्पनी सचिव, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ को उनके पत्र सं० 85/पाकालि/बैठक 2003 दिनांक 26.5.2003 के संदर्भ में.
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि प्रकाश मिश्र)
कार्मिक अधिकारी

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन, लि0
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

सं0 3017-औस-17/पाकालि/2003-10(100)ए. एस. 2002 दिनांक 26 जून 2007

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत कार्मिकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975 (यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मृतक कार्मिक के आश्रित को मृतकाश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान करने सम्बन्धी आवेदन पत्र विभाग को प्रस्तुत करने हेतु पूर्ववर्ती परिषद की विज्ञप्ति सं0 21-विनियम-23/राविप/98 दिनांक 22.1.98 द्वारा अधिकतम समय सीमा कार्मिक की मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित है। लापता कार्मिकों के प्रकरणों में कतिपय भ्रांतियाँ व्याप्त है, जिसके समाधान हेतु एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि लापता कार्मिक की भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में निहित प्राविधानानुसार सक्षम न्यायालय द्वारा सिविल डेथ घोषित करने सम्बन्धी निर्णय निर्गत होने की तिथि से उक्त 5 वर्ष की निर्धारित समय सीमा आगणित की जाए एवं तद्नुसार सेवायोजन सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा पुराने मामले पुनर्उद्घाटित नहीं किए जायेंगे।

अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक

सं0 3017-1-औस-17/पाकालि/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. मा0 ऊर्जा मंत्री जी, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव।
2. प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ0प्र0 शासन, लखनऊ
3. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
4. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
5. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति-प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन
6. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
8. समस्त अनुभाग अधिकारी/ निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि/शक्ति भवन, लखनऊ

26/6

आज्ञा से,

(रवि प्रकाश मिश्र)
कार्मिक अधिकारी

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन: 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 17 / विनियम-23 / पाकालि-2007 4 विनियम / (टी0सी0) / 06 दिनांक: 23.02.07

कार्यालय ज्ञाप

" उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 " के अन्तर्गत श्रेणी प-1 हेतु सामूहिक अर्हता के प्राविधानों के अन्तर्गत कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0 165 विनियम -23 / पाकालि-06 दिनांक 25.11.06 द्वारा अर्हता उच्चीकृत करते हुये यह प्राविधान किया गया है कि "अभ्यर्थी शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से हृष्ट -पुष्ट हो, हाई-स्कूल अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो व साइकिल चलाना जानता हो"

2. कारपोरेशन के दिवगंत कार्मिको के आश्रितों की प-1 (श्रमिक) पद पर नियुक्ति हेतु उनके आश्रित परिवार को राहत / सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि दिवगंत कार्मिक के परिवार का आश्रित सदस्य यदि हाई-स्कूल परीक्षा पास नहीं है तो पूर्व की भाँति ही नियमानुसार उसे नियुक्ति के लिये विचारित किया जा सकता है, परन्तु, ऐसे मामलों में उन्हें अग्रेत्तर प्रोन्नति हेतु विचार नही किया जायेगा।

अशोक खुराना
अध्यक्ष

पृष्ठाकंन संख्या: 17 / विनियम-23 / पाकालि-2007 4 विनियम (टी0सी0) तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ ।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निजी सचिव, समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ ।
5. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमाँचल / पूर्वांचल / मध्यांचल / दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ / वाराणसी / लखनऊ / आगरा, केस्को, कानपुर।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, (स्तर 1 / 11), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. मुख्य अभियन्ता, (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, महानगर विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ के समस्त अधिकारी / अनुभाग / सूचना पटट्।

23.2.07

(जावेद अहमद)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवनः 14—अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

संख्याः ~~118~~ 139/विनियम/पाकालि—2007—5— विनियम /98 दिनांक :11.09.07

कार्यालय ज्ञाप

" उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 " की धारा 45 (11) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह आदेशित किया जाता है कि " उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली, 1975 " के अर्न्तगत यांत्रिक संवर्ग श्रेणी प—4 (तकनीशियन ग्रेड—11) (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती हेतु वे अभ्यार्थी भी पात्र होगे जो तत्समय लागू सेवा विनियमावली में अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के पदो पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु शैक्षिक योग्यता/अर्हता यथा—अभियंत्रण में डिप्लोमा/डिग्री रखते हो।

2. उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 के अन्य प्राविधान यथावत् अपरिवर्तनीय होगें तथा विनियमावली में इंगित अन्य सेवा शर्ते यथावत लागू रहेगी।

अध्यक्ष

पृ0 संख्याः 118(1)/विनियम/पाकालि—2007—5— विनियम /98तद्‌दिनांक।

उपरोक्त की प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निजी सचिव।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4. निजी सचिव, समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
5. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमॉचल/पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/वाराणसी/लखनऊ/आगरा/केस्को, कानपुर।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, (स्तर 1/11) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. मुख्य अभियन्ता, (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. उ0प्र0 पावर कारपोरशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ मुख्यालय के समस्त अधिकारी/ अनुभाग/सूचना पटट्।

11/9/07

(जावेद अहमद)
अनुसचिव (विनियम)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0 सरकार का उपकम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या 1623 औ0स0/2008–27–एफ/80 दिनांक : 22 अप्रैल, 2008

कार्यालय ज्ञाप

विषय :–उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975 के अन्तर्गत कार्यालय सहायक–तृतीय के पद प भर्ती के सम्बन्ध में ।

पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के आदेश संख्या–5778–कार्मिक(९/राविप–258–एनजी–2/76, दिनांक 26.08.81 में यह प्राविधानित है कि उ0प्र0 राज्य विद्यु परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975 के अन्तर्ग कार्यालय सहायक–तृतीय के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर इस प्रतिबन्ध के सा नियुक्ति की जा सकेगी कि सम्बन्धित कार्मिक संगत उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लिपिकी अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता एवम् अन्य अधीनस्थ कार्यालय) विनियमावली, 1970 में प्राविधानि टंकण परीक्षा दो वर्ष में उत्तीर्ण कर लेते है । पूर्ववर्ती परिषद की विज्ञपि संख्या–531–विनियम–23/राविप–98–7–विनी/88, दिनांक 22.12.98 द्वारा कार्याल सहायक–3 हेतु "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक तथा टंकण की योग्यता व साथ–साथ कम्प्यूटर भिज्ञता होना चाहिए, प्राविधानित किया गया । उ0प्र0 पावर कारपोरेश लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–135–विनियम/पाकालि/07–5विनियम/98, दिनांक 11.9 2007 द्वारा यह आदेशित किया गया कि दिनांक 18.8.2007 से आगे कारपोरेशन में समूह 'ग एवम् उच्च संवर्ग के पदों पर जो भी नियुक्तियॉ की जाए उनमें वर्तमान न्यूनतम शैक्षिव अर्हता Department of Electronics द्वारा संचालित Department of Electronics Accredition o Computer Courses (DOEACC) स्कीम के अन्तर्गत 'O' Foundation कोर्स उत्तीर्ण होना अथव किसी प्रतिष्ठित कम्प्यूटर संस्थान से समकक्ष एक वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार होगा। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति संख्या–531–विनियम –23/राविप–98–7–विनी/98, दिनांक 22.12.98 एवम् कार्यालय ज्ञाप संख्या–135–विनियम–23/पाकालि–07–5 विनियम /98, दिनांक 11.9.07 द्वारा आदेश संख्या–5778

–कार्मिक(9)/राविप'258–एनजी–2/76, दिनांक 26.8.81 अतिक्रमित नहीं किया ग... है।

अतः प्रश्नगत कार्यालय सहायक–3 के पद पर परिवीक्षा पर उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975 के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध के साथ उन अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी जो उक्त विज्ञप्ति दिनांक 22.12.98 एवम् कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11.9.2007 के अर्न्तगत प्राविधानित टंकण एवम् कम्प्यूटर योग्यता नहीं रखते, कि वे ये योग्यताऐं/अर्हताऐं दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्राप्त कर लेते है। सम्बन्धित कार्मिक का स्थाईकरण एवम् उनको वार्षिक वेतन वृद्धि प्रश्नगत टंकण एवम् कम्प्यूटर योग्यता/अर्हता प्राप्त करने के बाद अनुमन्य होगी।

प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 1623(1) औस/2008–27–एफ/80–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2– प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वान्चल,वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा/केस्को, कानपुर।
3– अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति–प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
4– समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2)/मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवम् समस्त महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
5– समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
6– समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, पूर्वान्चल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, मध्यांचल, केस्को एवम् पाकालि।
7–समस्त अनुभाग–अधिकारी–/निजी–सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
8– सचिव, विद्युत कर्मचारी पेंशनर्स परिषद, 103 कीर्ति शिखर, अपार्टमेन्ट, स्टेशन रोड, लखनऊ।
9– कट फाइल।

भवदीय,

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः 3793 औस / 2009–27–एफ0 / 80(वोल्यूम–।।।) दिनांकः 08 अक्टूबर, 2009

कार्यालय – ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3880–औस–17 / पाकालि / 2000–27 एफ / 80, दिनांक 22.12.2000 में निहित व्यवस्थानुसार मृतकाश्रितों की नियुक्ति मात्र श्रमिक, कार्यालय सहायक–तृतीय, अथवा टेक्नीशियन ग्रेड–2(विद्युत) पद पर किये जाने का प्राविधान है।

2– एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975 (यथा संशोधित) में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि टेक्नीशियन ग्रेड–2 (विद्युत) पद से (विद्युत) शब्द को विलोपित कर उक्त पद को प–4 श्रेणी के मात्र टेक्नीशियन ग्रेड–2 पद पर मृतकाश्रित को सेवायोजन प्रदान किया जायेगा। तद्नुसार कारपोरेशन के आदेश संख्या–3880–औस–17 / पाकालि / 2000–27 एफ / 80, दिनांक 22.12.2000 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए उसके प्रस्तर–अ में इंगित पद टेक्नीशियन ग्रेड–2 (विद्युत) से (विद्युत) शब्द को विलोपित कर उक्त पद को प–4 श्रेणी के मात्र टेक्नीशियन ग्रेड–2 पद के नाम से इंगित किया जाता है। उक्त आदेश के अन्य प्राविधान यथावत् प्रभावी रहेगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः 3793 (1) औ0सं0 / 2009–तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध अपर सचिव।
2– अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
3– निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन) / (वितरण) / (वित्त), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
4– प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ / पूर्वान्चल, वाराणसी / पश्चिमांचल, मेरठ / दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर को

........................2/–

S AVAYOJAN

इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया वे अपने अधिनस्थ निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त संशोधन से सूचित करने का कष्ट करें

5— अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग / जॉच समिति–प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

6— मुख्य अभियन्ता (जल--विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

7— समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

8— समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

9— समस्त अपर सचिव / संयुक्त सचिव / महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक (लेखा / वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (वेतन एवम् लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

10— कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ को टिप्पणी सख्या— 863 / पाकालि / बैठक(80) / 2009, दिनांक 30.09.2009 के सन्दर्भ में प्रेषित।

11— समस्त अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

12— अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org (personnel) पर लोड करने हेतु ।

13— सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।

14— कट फाइल / पत्रावली संख्या–10(31)ए0एस0 / 2008 हेतु ।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

SAVAYOJAN

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः 4327 औस / 2009–27–एफ0 / 80 (वोल्यूम– III) दिनांकः 25 नवम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3880–औस–17 / पाकालि / 2000–27–एफ / 80, दिनांक 22.12.2000 व कार्यालय ज्ञाप संख्या–2797–औस–17 / पाकालि / 03–27–एफ / 80 टी0सी0, दिनांक 06.06.2003 के अनुक्रम में उक्त आदेशों में प्रतिपादित व्यवस्था के साथ –साथ कारपोरेशन मुख्यालय एवम् अन्य प्रशासनिक कार्यालयों (यथा प्रबन्ध निदेशक, मुख्य अभियन्ता व लेखा इकाई के समकक्ष कार्यालय) में मृतकाश्रित के रूप में पुरूष अभ्यर्थियों को चपरासी के पद के विरुद्ध चपरासी के पद पर नियुक्त किये जाने एवम् उक्त वर्णित कारपोरेशन मुख्यालय व अन्य प्रशासनिक कार्यालयों में मृतक आश्रित के रूप में चपरासी के पद के विरूद्ध नियुक्त श्रमिक पद पर कार्यरत ऐसे श्रमिकों, जो चपरासी पद की अर्हता रखते हो, को उनकी सहमति पर चपरासी का पदनाम तत्काल प्रभाव से दिये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्याः 4327 (1) औस / 2009–तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध अपर सचिव।

2– अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

3– निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन) / (वितरण) / (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

4– प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ / पूर्वान्चल, वाराणसी / पश्चिमांचल, मेरठ / दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया वे अपने अधीनस्थ निगम के अधिकारियों / कर्मचारियों को उक्त व्यवस्था से सूचित करने का कष्ट करें।

5– अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग / जॉच समिति–प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

6– मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

7– समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) / पारेषण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

8– समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

9– समस्त अपर सचिव / संयुक्त सचिव / महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक (लेखा / वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (वेतन एवम् लेखा), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

10– कम्पनी सचिव, पाकालि को टिप्पणी संख्या–1022/ पाकालि/बैठक(81)/2009, दिनांक 19.11.2009 के सन्दर्भ में प्रेषित।

11– अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org (personnel) पर लोड करने हेतु।

12 सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।

13 कट फाइल।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या–2018–औस / 2012–27–एफ0 / 80 दिनांक 5 जुलाई, 2012

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकार का अधिसूचना संख्या–6 / 12 / 73 / कार्मिक–2 / 2011–टी0सी0–IV, दिनांक 22.12.2011 द्वारा उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (नवॉ संशोधन) नियमावली 2011 के नियम–2 में किये गये संशोधन को अंगीकार किये जाने का पावर कारपोरेशन ने निर्णय लिया है।

उपरोक्त अधिसूचना अंगीकृत किये जाने के फलस्वरूप एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975 (यथा संशोधित) के नियम– 2 में नीचे स्तम्भ–1' में दिये गये वर्तमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड प्रतिस्थापित किया जाता है :–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ग) कुटुम्ब के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होगें:–	(ग) कुटुम्ब के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होगें:–
1. पत्नी या पति,	1. पत्नी या पति
2. पुत्र	2. पुत्र / दत्तक पुत्र
3. अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां,	3. अविवाहित पुत्रियां अविवाहित दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियां और विधवा पुत्र वधुएँ,
4. मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।	4. मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।
परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिये अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियॉ भी सम्मिलित होगीं।	5. ऐसे लापता सरकारी सेवक, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा 'मृत' के रूप में घोषित किया गया है, के उपरिउल्लिखित सम्बन्धी, परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियॉ भी सम्मिलित होंगी।

नियमावली के अन्य प्राविधान यथावत् रहेगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0) ....2 / –

संख्याः 2018–(1) औस / 2012 – तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :–

1– प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़, वाराणसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा एवं केस्को, कानपुर।

2– निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लिमिटेड़, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3– मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत) / अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग / जॉच समिति, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

4– समस्त मुख्य अभियन्ता वितरण क्षेत्र एवं पारेषण क्षेत्र, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

5– समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

6– समस्त मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा) / महाप्रबन्धक (लेखा) / उप महाप्रबन्धक (लेखा) / उप मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

7– समस्त उप महाप्रबन्धक (औस) / वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

8– उपसचिव (विनियम), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

9– समस्त अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

10– अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु।

11– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की बैठक नब्बे (28) / 12, दिनांक 15.06.2012

12– कट फाइल।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
उप महाप्रबन्धक (औस)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या– 2104 –औ0सं0 / 2013–27–एफ0 / 80 (VOL-I) दिनांक 11 जुलाई, 2013

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल / पूर्वान्चल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ / वाराणसी / आगरा / मेरठ / कानपुर।

विषय :–कार्यालय सहायक (तृतीय) पद पर मृतक आश्रित सेवायोजन के प्रकरणों में स्नातक आर्हता के सम्बन्ध में ।

महोदय,

प्रायः यह देखा जाता है कि मृतक आश्रित सेवायोजन के प्रकरणों में मृतक आश्रित की शैक्षिक आर्हता बी0ए0 / बी0काम / बी0एस0सी0 के अतिरिक्त बी0सी0ए0, बी0बी0ए0 आदि आर्हताओं को स्नातक मानने अथवा अन्यथा के सम्बध में प्रकरण कारपोरेशन (मुख्यालय) को सन्दर्भित किये जाते है, ऐसी स्थिति में मृतक आश्रित सेवायोजन प्रदान किये जाने में विलम्ब होता है।

उक्त के दृष्टिगत मृतक आश्रित सेवायोजन के प्रकरणों के निस्तारण में स्नातक उपाधि के अर्न्तगत निम्नवत् परामर्शित किया जाता है :–

"विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 (यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त बी0ए0 / बी0कॉम0 / बी0एस0सी0 / बी0सी0ए0 / बी0बी0ए0 / बी0ई0 / बी0टेक आदि सभी बैचलर की उपाधियाँ "स्नातक" आर्हता समझी जाये।"

विश्वविद्यालय अथवा शैक्षिक संस्थान की मान्यता के सम्बन्ध में यदि कोइ संदेह हो तो सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, यू0जी0सी0 (यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन) से विश्वविद्यालय व संस्थान की वैद्यता की पुष्टि अपने स्तर पर सुनिश्चित करते हुये मृतक आश्रित के प्रकरणो का निस्तारण करें। मृतक आश्रित सेवायोजन सम्बन्धी अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् पूर्व की भाँति प्रभावी रहेगे।

भवदीय,

(सुनील दत्त शर्मा)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)

संख्या– 2104 –(1)–औ0सं0 / 2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक (का0प्र0 एंव प्रशा0) / (वितरण) / (वित्त) / (वाणिज्य) / (कारर्पोरेट–प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।

2– निदेशक (आपरेशन) / (प्रोजेक्ट) / (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।

क्रमशः / 2

3– अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

4– समस्त मुख्य अभियन्ता, (वितरण/पारेषण) को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराने हेतु।

5– मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

6– समस्त उप–महाप्रबन्धक (औद्योगिक–सम्बन्ध)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

7– समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप–मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

8– समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा–स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

9– अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट **www.uppcl.org** पर लोड करने हेतु।

10– कट फाइल।

(सुनील दत्त शर्मा)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

21/DGM
28.2.14

संख्याः–686–औस / 2014 / 01 / ए0एस0 / 2014 दिनाँक 28 फरवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप

31-2

उ0प्र0 शासन लोक सेवा प्रबन्ध अनुभाग द्वारा उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 की धारा 03 के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या–2198–एक–14–2010–33 (100) 2010 दिनाँक 15.01.2011 में किये गये संशोधन के सन्दर्भ में एतद्द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मृतक आश्रित सेवायोजन एवं विघुतीय दुर्घटना के प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित व्यवस्था शासकीय अधिसूचना के अनुपालन में प्रतिपादित की जाती है।

क्र0सं0	प्रकरण	निस्तारण की समय–सीमा		
		आवेदन की तिथि से	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर निर्णय (तकनीकी एवं अनिवार्यता परीक्षण के बाद)।	60 दिवस	30 दिवस	30 दिवस
2.	मृतक आश्रित की नियुक्ति (सामान्य मामलों में) पर निर्णय।	90 दिवस	30 दिवस	30 दिवस
3.	विद्युत दुर्घटनाओं पर भुगतान किये जाने पर निर्णय।	30 दिवस	15 दिवस	15 दिवस

समस्त क्षेत्रीय अधिकारीगण उक्त समय सारिणी में इंगित व्यवस्था के अनुरूप विषयगत प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें जिससे उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या–2198–एक–14–2010 –33 (100) 2010 दिनाँक 15.01.2011 में किये गये संशोधन का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकें।

प्रबन्ध निदेशक,

संख्याः–686–औसं / 2014 तद्नुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

2– प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0 मध्याँचल–लखनऊ / पर्वान्चल–वाराणसी / पश्चिमाँचल–मेरठ म दक्षिणाँचल–आगरा एवं केस्को–कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान में अनुपालन लाये जाने का कष्ट करें।

3– अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग / जाँच समिमि–प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

4– मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

5– समस्त मुख्य अभियन्ता, (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराने हेतु।

6– समस्त उप–महाप्रबन्धक (औद्योगित–सम्बन्ध)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

7– समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्ध (लेखा/वित्त), उप–मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

8– समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा–स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

9– अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु।

10– सचिव, विद्युत पेंन्शनर्स परिषद, उ0प्र0, 103–कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड़ लखनऊ।

11– संयुक्त सचिव (काविनी एवं विनियम) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

12– कट फाइल।

28.2.14

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
उप महाप्रबन्धक (औसं0)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

14–अशोक मार्ग शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं0– 101 – विनियम/काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/14–09–विनियम/2001(टीसी)   दिनांक 10 जुलाई, 2014

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद मुख्यालय लिपिकीय कर्मचारी सेवा विनियमावली–1969 (यथा संशोधित के पार्ट–III, रिक्रूटमेन्ट, के विनियम–5 एवं 11(1)–ए–मिनिस्टीरियल क्लास–III में संशोधन हेतु जारी किये गये कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0 34–विनियम एवं औ0सं0/पाकालि/2011–09–विनियम/2001 (टीसी) दिनांक 24.06.2011 के स्तम्भ–02 के वर्तमान प्राविधानों को, जो कि नीचे स्तम्भ–01 में अंकित हैं, में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित स्तम्भ–02 में इंगित प्राविधानों से एतदद्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:–

स्तम्भ–01 (वर्तमान प्राविधान) पार्ट–III, रिक्रूटमेन्ट नियम–5 एवं 11(1) ए–मिनिस्टीरियलः क्लास–III		स्तम्भ–02 (प्रतिस्थापित प्राविधान) पार्ट–III, रिक्रूटमेन्ट नियम–5 एवं 11(1) ए–मिनिस्टीरियलः क्लास–III	
पदनाम भर्ती का स्रोत/प्रतिशत	शैक्षिक अर्हता	पदनाम भर्ती का स्रोत/प्रतिशत	शैक्षिक अर्हता
2. सहायक समीक्षा अधिकारी 2–2. कनिष्ठ श्रेणी लिपिक पद से प्रोन्नति द्वारा 40%	कनिष्ठ श्रेणी लिपिक के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की कार्यकारी सेवा।	2. सहायक समीक्षा अधिकारी 2–2. कम्प्यूटर सहायक पद से प्रोन्नति द्वारा 40%	कम्प्यूटर सहायक के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की कार्यकारी सेवा।
		3. कम्प्यूटर सहायक पे–बैण्ड–1 (रु. 5200–20200 + ग्रेड–पे रु. 2600/–) 1. मृत सरकारी सेवक आश्रितों की भर्ती विनियमावली–1975 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ––– 80%	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि 2. DOEACC का 'O' लेवल प्रमाण पत्र अथवा सकमक्ष एक वर्षीय कम्प्यूटर प्रमाण पत्र 3. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति तथा अंग्रेजी टंकण को अधिमान्यता।
		2. सम्प्रति चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों से संगत विनियमावली के प्राविधानानुसार प्रोन्नति द्वारा – 20%	—

(क्रमशः......... 2)

Kavao C.S. Vinyam (Letter)-16

4. कनिष्ठ श्रेणी लिपिक पे–बैण्ड–1 (रु. 5200–20200 + ग्रेड–पे रु. 2200/–) 1. मृत सरकारी सेवक आश्रितों की भर्ती विनियमावली–1975 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा। 2. सम्प्रति चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों से संगत विनियमावली के प्राविधानानुसार प्रोन्नति द्वारा।	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि। 2. DOEACC का CCC प्रमाण पत्र। 3. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति तथा अंग्रेजी टंकण को अधिमान्यता।	विलोपित	विलोपित

2. कार्यालय ज्ञाप सं0 34–विनियम एवं औ0सं0/पाकालि/2011–09–विनियम/2001 (टीसी) दिनांक 24.06.2011 एवं संगत विनियमावली के अन्य प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे। कनिष्ठ श्रेणी लिपिक के वर्तमान में सृजित एवं स्वीकृत 21 पद इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गमन की तिथि से कम्प्यूटर सहायक के पद पर परिवर्तित माने जायेंगे। इस सम्बन्ध में कार्यवाही कारपोरेशन मुख्यालय के प्रशासनिक सुधार एवं जन शक्ति अनुभाग–01 द्वारा अलग से की जायेगी।

3. मृतक आश्रित भर्ती सेवा विनियमावली–1975 के संगत प्राविधान उक्त सीमा तक स्वतः संशोधित माने जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः 101 – (1) विनियम/काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 2014 – तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
4. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
6. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, बी–17, जे0 रोड , महानगर, उ0प्र0 पा०का०लि0, लखनऊ।
9. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)/महाप्रबन्धक (औ0सं0)/लेखा प्रशासन, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पाकालि शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(गिरजा शंकर श्रीवास्तव)
अनु सचिव (विनियम)